

अंकेक्षण प्रमाण-पत्र

हम राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 के तहत नियुक्त अंकेक्षक प्रमाणित करते हैं कि हमने दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बाड़मेर के दिनांक 31.03.2021 के संतुलन चित्र व लाभ-हानि खाते की जाँच कर ली है। हमने समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। हमारी सम्मति में अतिरिक्त इसके जिसका कि पृथक् से उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट एवं लेखों पर टिप्पणियों में किया गया है, संतुलन चित्र तथा लाभ-हानि खाता दिनांक 31.03.2021 को बैंक कार्यों की सही एवं वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करता है।

बैंक द्वारा ऋण एवं अग्रिम आस्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत कर प्रावधान किए हैं—
(Amount in Rs.)(In Lacs)

Sr. No.	Classification of Loans	Amount of Loans as per Bank	Amount of Loans as per Auditor	Provision Required as per Bank	Provision Required as per Auditor	Provision Made	Excess/(Shortage)
1	Standard Assets	77650.44	77650.44	205.72	205.72	567.00	361.28
2	Sub. Standard Assets	2462.23	2462.23	246.22	246.22	647.17	400.95
3	Doubtful Assets						
	D-1	938.63	938.42	187.73	187.69		
	D-2	190.10	190.10	57.03	57.03		
	D-3	933.77	933.98	933.77	933.98		
4	Unsecured	4.56	4.56	4.56	4.56	1183.09	(0.17)
5	Loss Assets	-	-	-	-	-	-
6	Overdue Interest	692.04	692.04	692.04	692.04	725.00	32.96
	Total	82871.77	82871.77	2327.07	2327.24	3122.26	795.02

**FOR BANSAL MANGAL SINGHAL & GOYAL
CHARTERED ACCOUNTANTS**

**(CA ANIL KUMAR MANGAL)
PARTNER
M. NO. 403827**